न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2017 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.11.2017
G.C.M.S. NO. :- 2017/00119

देवीलाल पिता घासी जी जाति छीपा, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–प्रेमबाई पत्नि कंवरलाल जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी भील्या खेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 885/2002 आवंटन दिनांक 05.01.2002

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री विजय कुमार जैन, अधिवक्ता वि. सं. 1

प्र. सं. 04/2017 (रा.प्रा.पत्र)
देवीलाल पिता घासी छीपा निवासी मंगलवाड़ तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रेमबाई पत्नि कंवरलाल कालबेलिया, निवासी भील्या खेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा मंगलवाड़ तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1 मी रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 1/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि भू आवंटन कमेटी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटन दिनांक 05.01.2002 से आवंटित कर दी। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का ही चला आ रहा है। इस भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। विपक्षी ने आवंटन शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की हैं जिससे विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार जैन ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के पास होकर उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का नियमन योग्य कब्जा चला आ रहा है व वर्तमान में भी उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा है। आवंटन दिनांक से विपक्षी का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है विपक्षी संख्या 1 मूलतः भील्या खेडा के निवासी है व भील्या खेड़ा मंगलवाड़ से 2 किलोमीटर दूर है जो आवंटन की पात्रता नहीं रखता है फिर भी उसने आवंटन कमेटी से मिलीभगत कर उक्त आराजीयात अपने नाम आवंटन करा ली जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी काश्तकार नहीं है तथा भूमिहीन की श्रेणी में नहीं

प्र. सं. 04/2017 (रा.प्रा.पत्र)
देवीलाल पिता घासी छीपा निवासी मंगलवाड़ तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रेमबाई पत्नि कंवरलाल कालबेलिया, निवासी भील्या खेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

आता है। वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नहीं थी जिससे बिना प्रार्थी को बेदखल किये गलत रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को आदेश दिनांक 05.01.2002 से किया गया भूआवंटन निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीया को भूआवंटन पूर्णतया विधि अनुसार संपूर्ण जांच के बाद हुआ है। ग्राम मंगलवाड़ की भूमि जिसको विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन किया गया एवं आवंटी ने काफी धन एवं अंग मेहनत कर भूमि को नियमानुसार निश्चित समयावधि मे काश्त कर उपजाऊ बनाया, जिससे आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी आवंटन दिनांक से ही है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र समय बाधित होने से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण धारा 14(4) की परिधि मे नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1 मी रकबा 6 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को भू आंवटन कमेटी बडीसादडी द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1 मी में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी ने उक्त भूमि आराजी नम्बर 1 मी रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 6 बिस्वा भूमि

विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने से ही आराजी नम्बर 1 मी रकबा 6 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 उसे आवंटनशुदा भूमि की खातेदार है, और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)